राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी–3, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

बेवसाईट– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in ई–मेल– caodlb@gmail.com टेलीफोन/फैक्स नं – 0141–2223074

क्रमांक/प.6 (क)(66)लेखा/डीएलबी/बजट/17–18/13117-207 दिनांक 29/11/16

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त।

विषयः– शहरी निकायों के बजट अनुमान 2017–18 एवं संशोधित अनुमान 2016–17 प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 87 व 88 के अन्तर्गत सभी नगरीय निकायों को आगामी वर्ष 2017–18 के आय–व्यय अनुमान एवं वर्ष 2016–17 के संशोधित अनुमान तैयार कर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल से **15 फरवरी 2017 तक अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य है।** आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सभी नगरीय निकाय अपना बजट राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं संशोधन 2010 के अनुसार निर्धारित 15 फरवरी 2017 तक पारित करवा कर संबंधित विज्ञ कर्मचारी के साथ 28 फरवरी 2017 तक निदेशालय को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उल्लेखनीय है कि **राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2010 के अनुसार सभी नगरीय निकायों के आगामी वर्ष के बजट प्राक्कलन 15 फरवरी तक बोर्ड से पारित करवाकर एक प्रति निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। यदि कोई नगरीय निकाय 15 फरवरी तक बजट प्राक्कलन पारित करवाने में विफल रहती है तो बजट तैयार करना और उस वर्ष की 28 फरवरी को या उससे पूर्व राज्य सरकार के प्रस्तुत करने का दायित्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी का होगा।**

निर्धारित अवधि में बजट प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित नगरपालिक अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की सकती है।

अतः निम्न बिन्दुओं के ध्यान में रखते हुए बजट तैयार कर संबंधित विज्ञ कर्मचारी के साथ निदेशालय को भिजवावें, जिससे बजट तत्समय ही कम्प्यूटर में फीड कराया जा सके:–

01. वर्ष 2017–18 हेतु आय–व्यय के अनुमान पिछले तीन वर्ष की वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर निर्धारित किये जावें।
02. वर्ष 2017–18 का बजट अनुमान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 87 व 88 के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका लेखा मैन्यूअल 2009 में निर्धारित प्रक्रिया/प्रपत्रों अनुसार तैयार करते हुए मण्डल से 15 फरवरी 2017 से पहले आवश्यक रूप से अनुमोदित करावें।
03. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 87 में वर्णित निम्न मदों के प्रस्ताव बिना राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बजट में सम्मिलित नहीं किये जावें:–
    - i. नये पद के सृजन या रिक्त पदों को भरने
    - ii. नये यान के क्रय
    - iii. स्थावर सम्पत्ति के क्रय
    - iv. किसी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान देने या
    - v. किसी अन्य मामले के लिये जो राज्य द्वारा समय–समय पर निदिष्ट किया जाये।
04. बजट अनुमानों के साथ निम्न सूचनाऐं भी आवश्यक रूप से संलग्न करावें:–
    - I. मण्डल के कार्यवाही विवरण की प्रति।
    - II. वाहनों की सूची–

वाहन का प्रकार	क्रय वर्ष	उपयोगी/अनुउपयोगी

Scanned by CamScanner

215

III. स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण–

पद नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद

IV. प्रारम्भिक शेष का विवरण। (प्रायः यह देखा गया है कि निकायों द्वारा प्रारम्भिक शेष सही नही दर्शाया जाता है। प्रारम्भिक शेष या तो पूर्व वर्ष की राशि को ले लिया जाता है, या फिर बिना प्रमाण के अंकित कर दिया जाता है। प्रारम्भिक शेष बजट तैयार करने के माह तक के वास्तविक आय एवं व्यय में शेष अवधी के अनुमानित आय–व्यय को शामिल करने के बाद की राशि को लिया जाना चाहिए।)

V. बजट में प्रस्तावित नवीन सम्पत्ति क्रय का विवरण–

क्र. सं.	क्रय की जाने वाली नवीन सम्पत्ति का विवरण	सम्भावित व्यय	बजट मद जिससे प्रभारित किया जावेगा	उपलब्ध राशि	विभाग से प्राप्त स्वीकृति का विवरण

VI. लेनदारियों एवं देनदारियों की सूची। (बजट प्रस्तुत करने तक की सूची)

VII. दूरभाष नम्बरों की सूची।

VIII. बजट वर्ष 2017–18 में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की सूची।

IX. वेतन भत्तों की इकजाई एवं शाखावार सूचना प्रत्येक कॉलम का योग करते हुए।

X. वर्ष 2015–16 के वास्तविक बजट मदवार आय–व्यय की सूचना।

XI. नगरीय विकास कर एवं शहरी जमाबन्दी की सूचना–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	मद	वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17	
		लक्ष्य	वास्तविक प्राप्ति	लक्ष्य	वास्तविक प्राप्ति	लक्ष्य	वास्तविक प्राप्ति
1	नगरीय विकास कर						
2	शहरी जमाबन्दी						

XII. बजट निदेशालय में प्रस्तुत करने तक (वर्ष 2016–17) का वास्तविक आय–व्यय की सूचना।

XIII. निकाय के कर्मचारियों की सूचना निम्न प्रपत्र में :–

क्र. सं.	कर्मचारियों का नाम	पद	जन्म दिनांक	प्रथम नियुक्ति दिनांक	पे–बेण्ड	ग्रेड–पें	01.01. 2017 को मूल वेतन

XIV. निकाय के बैक एवं पीडी खातो के अंक मिलान कर सूचना प्रस्तुत करे।

XV. विभागीय परिपत्र क्रमांक प.6(च)(66)डीएलबी/लेखा/बजट 2014–15/3287 दिनांक 22.07.2014 की पालना सुनिश्चित की जावे।

प्रायः यह देखा गया हैं कि नगरीय निकाय द्वारा बजट तैयार कर विभाग में प्ररतुत किया जाता हैं जिसके योगों में, प्रारम्भिक व अंतिम शेषों में अंतर होता हैं। जिसके कारण विभाग में अनावश्यक समय व श्रम व्यर्थ होता हैं। अतः निर्देशित किया जाता हैं कि बजट तैयार करते समय सभी प्रकार के योगों की जाँच सावधानी पूर्वक की जावें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक/प.6 (क)(66)लेखा/डीएलबी/बजट/17–18/13208–15 दिनांक– 29-11-16

प्रतिलिपिः– उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशों के अनुसार अपने अधीनस्थ सभी निकायों को निर्धारित दिनांक पर बजट निदेशालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें।

(हुलास राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी

Scanned by CamScanner